

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 67, जाबदा दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं फौजदार उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

सोना सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 138/2021

निर्णय दिनांक :- 22.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वावपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 9 एस ए की जमाबन्दी संवत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 56 में सोना सिंह 1723/6083 हिस्सा रहन एस.बी.बी.जे. शाखा श्रीकरणपुर के स्थान पर सोना सिंह 1723/6083 हिस्सा रहन पी.एन.बी. शाखा श्रीकरणपुर अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे

आज दिनांक 22.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं फौजदार उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुदवई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प बकालतनामा	00	00
स्टाम्प बकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयूटी	00	00	मेहनताना बकली पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 489

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं फौजदार उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर
दिनांक: 30/11/21

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं फौजदार उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर